12/2025 तारीख दायरा 17.04.2025 (...0)

तारीख फैसला 18/8/25

पीठासीन अधिकारी—दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1— त्रिलोक आत्मज लड्डु जाति कुम्हार निवासी मदनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद

(प्रतिपक्षीगण)

प्रार्थीगण की ओर से — श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से— तहसीलदार दीगोद

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट वास्ते नाम दुरूस्ती हेतु

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थना पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

1. यह कि ग्राम मदनपुरा पटवार हल्का मदनपुरा अ०भू०अभि०निरीक्षक बडौद तहसील दीगोद में प्रार्थी व अन्य खातेदारान के शामलाती खाते में निम्न खसरा नम्बरान की आराजी स्थित चली रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

खसरा नं. 47 की 0.28 हैक्टर
खसरा नं. 72 की 0.03 हैक्टर
खसरा नं. 242/583 की 1.25 हैक्टर
खसरा नं. 252 की 1.22 हैक्टर
खसरा नं. 253 की 1.04 हैक्टर
खसरा नं. 340 की 1.35 हैक्टर
खसरा नं. 480 की 0.04 हैक्टर
खसरा नं. 481 की 1.72 हैक्टर
खसरा नं. 482 की 0.20 हैक्टर
खसरा नं. 484 की 0.04 हैक्टर
कुल 10 किता की 7.17 हैक्टर

2 यह कि प्रार्थी का नाम त्रिलोक आत्मज लड्डू है है पूर्व में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम छोट्या दर्ज हो गया था जिसको माननीय न्यायालय के आदेश से नामा० न० 334 दिनांक 30-7-2015 से छोट्या के स्थान पर त्रिलोक दर्ज कर दिया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 पेश है। उक्त जमाबन्दी में उक्त नामा० का नोट अंकित है।

3- यह कि इसके पश्चात् राजस्व कर्मचारियों द्वारा ऑन लाइन जमाबन्दी सम्वत 2074-- 2078 में प्रार्थी का नाम त्रिलोक दर्ज न कर पुनः सहवन छोट्या दर्ज कर दिया है।

4-यह कि प्रतिपक्षी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2075--2078 में प्रार्थी का नाम त्रिलोक के स्थान पर पुनः सहवन से छोट्या अंकित कर दिया है जिस कारण ऋण, खाद बीज आदि लेने में परेशानी आ रही है। जिसके कारण प्रार्थी को भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा बैंक आदि से ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नहीं कर सकेगा।

5-यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम छोट्या अंकित है उसके स्थान पर त्रिलोक दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने प्रतिपक्षी से कई मर्तबा निवेदन किया तथा अन्त में आवेदन भी दिनांक 11-3--2025 को पेश कर निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

6-यह कि प्रार्थना पत्र पेश करने का वाद कारण प्रतिपक्षी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम त्रिलोक के स्थान पर छाट्या दर्ज कर दिये जाने के कारण व दिनांक 11-3-2025 को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में छोट्या के स्थान पर त्रिलोक अंकित कर दुरूस्त करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित ग्राम मदनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नं. 47 की 0.28 हैक्टर, खसरा नं. 72 की 0 03 हैक्टर, खसरा नं. 242/583 की 1.25 हैक्टर, खसरा नं. 252 की 1.22 हैक्टर, खसरा नं. 253 की 1.04 हैक्टर, खसरा नं. 340 की 1. 35 हैक्टर, खसरा नं. 480 की 0.04 हैक्टर, खसरा नं. 481 की 1.72 हैक्टर, खसरा नं. 482 की 0.20 हैक्टर, खसरा नं. 484 की 0.04 हैक्टर कुल 10 किता की 7.17 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम छोटया के स्थान त्रिलोक दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा पारित की जावे। तथा उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावे। अन्य सहायता हो वह भी प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थीगण की ओर से संलग्न दस्तावेज

1- नकल जमाबन्दी ग्राम मदनपुरा सम्वत 2075-2078

2- नकल प्रार्थना पत्र तहसीलदार दीगोद

3- नकल पहचान पत्र

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिपक्षी की ओर से तहसीलदार दीगोद द्वारा जवाब सरकार तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। पटवारी हल्का मदनपुरा कि रिपोट दिनांक 23.06.2025 से प्राप्त रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम नामान्तरण संख्या 334 दिनांक

30.07.2015 न्यायालय आदेश से छोट्या पुत्र लड्डु के स्थान पर त्रिलोक दर्ज करने का आदेश होना बताया है।

प्रश्नगत प्रकरण में जवाब सरकार प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट को साक्ष्यवादी पर नियत किया गया। साक्ष्य में PW1 नरेश पुत्र लड्डूलाल जाति कुम्हार निवासी दीगोद मदनपुरा तहसील दीगोद तथा PW2 त्रिलोक पुत्र लड्डूलाल जाति कुम्हार निवासी दीगोद मदनपुरा तहसील दीगोद के प्रस्तुत किये गये, तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। प्रार्थना पत्र में बहस अधिवक्ता की सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों का एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थी के नाम को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 को स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मदनपुरा तहसील दीगोद की जिला कोटा की खसरा नं. 47 की 0.28 हैक्टर, खसरा नं. 72 की 0 03 हैक्टर, खसरा नं. 242/583 की 1.25 हैक्टर, खसरा नं. 252 की 1.22 हैक्टर, खसरा नं. 253 की 1.04 हैक्टर, खसरा नं. 340 की 1. 35 हैक्टर, खसरा नं. 480 की 0.04 हैक्टर, खसरा नं. 481 की 1.72 हैक्टर, खसरा नं. 482 की 0.20 हैक्टर, खसरा नं. 484 की 0.04 हैक्टर कुल 10 किता की 7.17 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम छोट्या के स्थान पर छोट्या उर्फ त्रिलोक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय अनुसार पालना की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।।

निर्णय आज दिनांक 18/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद